

Institute of hotel management catering technology & applied nutrition, hajipur

(An Autonomous Body under Ministry of Tourism, Govt. of India) (होटल प्रबंधन खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपुर)

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायतशासी निकाय)

IHM:CSS:SC:2025- 1174

दिनांक: 3 7 2

सूचना

त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स (B.Sc. in H&HA) के द्वितीय वर्ष (2^{nd year}) एवं तृतीय वर्ष (3rd Year) के अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृति योजना अंतर्गत नवीणीकरण आवेदन 2025–26

(Submission of renewal scholarship application of SC Students of 2nd and 3rd Year students of B.Sc. in H& HA under Central Sector Scholarship Scheme for Top Class Study

B.Sc. H&HA के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अनुसूचित जाति के उन छात्रों को जो उक्त छात्रवृति योजना का लाभ उठा रहें हैं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक वर्ष 2025-26 के छात्रवृति के नवीणीकरण (Renewal) हेतु ऑनलाईन आवेदन www.scholarships.gov.in पर शुरू हो चुकी है।

अत: उपरोक्त छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि समय रहते उक्त पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक कागजात के साथ हार्ड कॉपी में आवेदन सत्यापन हेतु संस्थान में अवश्य जमा करे। उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही वित्तिय सहायता नियमानुसार रोक (Terminate) दी जायेगी अगर वे पूर्व के सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते है।

The SC students of 2nd and 3rd Year of B.Sc in H&HA course who are already availing financial support under the Central Sector Scheme of Scholarship for Top Class Education for SC students are hereby directed to submit online renewal application for the year 2025-26 on www.scholarships.gov.in portal and submit hardcopy application along with all required documents to institute. The above scholarship scheme will be terminated if the student fails to pass the final/ term end examination as per rule.

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि:- 31.10.2025

Last date of online submission: 31.10.2025

(पुलक मंडल/Pulak Mandal) प्राचार्य/Principal

प्रतिलिपि:नोटिस बोर्ड, शैक्षिक विभाग, प्रशासकीय विभाग, बेबसाईट

CC: Notice Board, Academic, Admin, Website

नोट: छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को दावा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये यह पूरी तरह योग्यता एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन करने पर निर्भर करता है।